

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांक:-एफ 1(1)(4) आप्रसआ / सामान्य / 2013 / ७३४-८०० जयपुर, दिनांक २४-०१-२०१५

अधिसूचना

जिला कलेक्टरों से प्राप्त खरीफ फसल सम्बत् 2070 (सन् 2013) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान एफेक्टेड एरियाज (सर्पेशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एकट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद् द्वारा राज्य के निम्नलिखित जिलों के आगे अंकित संख्या के ग्रामों को, जिनका नाम संलग्न सूची में अंकित है, अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान ऐसे प्रभावित गावों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2014 तक लागू रहेंगे:-

क्र.सं.	नाम जिला	अभावग्रस्त घोषित ग्रामों की संख्या
1.	अजमेर	104
2.	अलवर	2
3.	बांसवाड़ा	1501
4.	बाड़मेर	1507
5.	बारा	482
6.	बीकानेर	339
7.	चूलू	16
8.	डूंगरपुर	986
9.	जोधपुर	868
10.	सिरोही	272
11.	प्रतापगढ़	1008
12.	कोटा	281
13.	जैसलमेर	744
14.	झालावाड़	1072
15.	नागौर	103
16.	पाली	934
17.	बून्दी	6
	योग	10225

राज्यपाल की आज्ञा से,


२६/१२/२०१५
(कुमारलाल मोणा)
शासन सचिव